डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पंत्राकः– ए0के0टी0यू0 / उप0कुस0का0 / 2017 / 160 A   दिनांक 01 सितम्बर, 2017

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से
सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः नवप्रवेशित छात्रों से शुल्क मद में शुल्क नियामक समिति द्वारा वर्तमान सत्र 2017–18 से प्रभावी किये गये शुल्क मात्र को प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

शुल्क नियामक समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु समस्त संस्थाओं के शुल्क निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है जिसकी सूचना शुल्क नियामक समिति, उत्तर प्रदेश की बेवसाइट http://www.afrcup.in पर उपलब्ध है। शुल्क नियामक समिति के गठन के अधिदेश के अनुसार समस्त संस्थाओं द्वारा नव प्रवेशित छात्रो से संस्थान शुल्क के मद में उक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क ही प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। छात्रों से संस्थान शुल्क के नाम पर इससे इतर शुल्क की मांग करना विधि विहीन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी संस्था के किसी भी नव प्रवेशित छात्र से उक्त निर्धारित संस्थान शुल्क से अधिक राशि की मांग न की जाय। यदि किसी संस्थान के विरूद्ध अधिक शुल्क लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय विनियमावली के सुसंगत प्राविधानो के अन्तर्गत कार्यवाही करने को बाध्य होना पडेगा।

भवदीय,

(ओम प्रकाश राय)
कुलसचिव